बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

**संकल्प**

**संख्याः** पर्या०/वन–36/2019......4980....../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक.....09/9/25

**विषयः–मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) को बिहार वित्त (संशोधन) नियामवली, 2024 के नियम–131(ZZ) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संबंधित संस्थानों में उपयोग के पश्चात् भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई.–अपशिष्ट) के बिक्री हेतु ई.–नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति।**

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई.–अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ई.–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 (संशोधन नियम–2023, संशोधन नियम–2024) अधिसूचित की गयी है।

2. उपरोक्त नियमावली के नियम–3 (I) के तहत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से अपशिष्ट (Waste) के रूप में त्याग दिया गया हो, साथ ही जिन्हें विनिर्माण, नवीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं के दौरान खारिज एवं अस्वीकार कर दिया गया हो, को ई.– अपशिष्ट के रूप में पारिभाषित किया गया है। ई.–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 के अन्तर्गत 07 श्रेणियों के कुल 106 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उनसे जुड़े घटक, उपभोग्य भाग एवं पूर्जे की सूची अनुसूची–I में सूचीबद्ध है।

3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों द्वारा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उपयोग के पश्चात् अनुपयोगी होने पर इसे कार्यालय परिसर में भंडारित कर रखा जा रहा है। ई.– अपशिष्ट में कई प्रकार के खतरनाक एवं अखतरनाक पदार्थ होते हैं। अविवेकशील एवं अवैज्ञानिक ढ़ंग से इनका भंजन (Dismantling) कर धातु निकालने के कारण मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कुप्रभावित होता है। अतः इन अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विनियमन

नीतियों (Regulatory Framework) के तहत भंजन (Dismantling), पुनःचक्रण (Recycling) अथवा निपटान (Disposal) करने की आवश्यकता है।

4. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.लि), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो निविदा प्रक्रिया द्वारा बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से ई.–अपशिष्ट सहित अन्य विविध धातु स्क्रैप वस्तुओं की बिक्री के लिए मंच प्रदान करता है।

5. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) द्वारा ई.–अपशिष्ट की बिक्री हेतु एक अलग से e-Commerce Portal विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर ई.–अपशिष्टों का क्रय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पंजीकृत हितधारक [उत्पादक (Producer), नवीनीकरणकर्त्ता (Refurbisher) या पुनःचक्रणकर्त्ता (Recycler) या उनके द्वारा प्राधिकृत तृतीय पक्ष (Third Party)] द्वारा ही किया जा सकता है।

6. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) को बिहार वित्त (संशोधन) नियामवली, 2024 के नियम–131(ZZ) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों में उपयोग के पश्चात् भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई.–अपशिष्ट) के बिक्री हेतु ई.–नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

7. सभी सरकारी विभाग, जिनमें बोर्ड, निगम एवं राजकीय लोक–उपक्रम भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा अपने भण्डारित ई– अपशिष्टों की नीलामी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) द्वारा विकसित ई– अपशिष्ट पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा ई.–अपशिष्ट के ई.–निलामी हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

**आदेशः** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: –पर्या० / वन–36 / 2019...4980.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक:...09/9/25

प्रतिलिपि: –अवर सचिव, ई.–गजट कोषांग, वित्त विभाग को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी दो सौ (200) मुद्रित प्रतियाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(आनन्द किशोर) 8/9/25
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: –पर्या० / वन–36 / 2019...4980.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक:...09/9/25

प्रतिलिपि:–महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा भवन, जोरबाग, अलीगंज मार्ग, नई दिल्ली–110003/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवाल विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 8/9/25
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: –पर्या० / वन–36 / 2019...4980.../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक:...09/9/25

प्रतिलिपि:–अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना/सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 8/9/25
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः –पर्या० / वन–36 / 2019 4980 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांकः 9/9/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मद संख्या–09, दिनांक 03.09.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः –पर्या० / वन–36 / 2019 4980 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांकः 09/9/25

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
सरकार के प्रधान सचिव